श्री राज नारायण : मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी बात को सदन से छिपाना नहीं चाहता हूं । ..... हमें याद नहीं है ।

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister can reply tomorrow. We will send him the extract of what the hon. Member said the other day.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Sir, I want to make a submission. The time allotted for the Resolution about the recommendations of the Railway Convention Committee is only one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When we take up that Resolution, you can make that submission.

(i) FAILURE TO INCREASE THE PRICE OF SUGAR CANE

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : हमारे देश में करीब दस करोड़ लोग गन्ने की खेती पर निर्भर करते हैं । हमारे देश में 253 चीनी मिलें हैं । छोटी छोटी खंडसारी की इकाइयां सात हजार से अधिक हैं । इन इकाइयों में लागभग बारह लाख लोग छोटे बड़े मिल कर काम करते हैं । केवल पन्द्रह प्रतिशत लोगों के लिए इस सरकार ने सस्ती चीनी की व्यवस्था कर रखी है । हम उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार चीनी नियंत्रण मुक्त कर देगी, चीनी फ्री होगी । लेकिन केवल पन्द्रह प्रतिशत लोगों की खातिर सरकार ने एक नकली कंट्रोल कायम कर रखा है और 8 5 प्रतिशत लोग सस्ती चीनी से वंचित हैं । उनको चीनी पाने के लिए खुले बाजार में चीनी खरीदनी पड़ती है । उनको सस्ते दामों पर चीनी नहीं मिलती है । पन्द्रह प्रतिशत लोग दो रुपए पन्द्रह पैसे किलो चीनी पाते हैं और शेष 85 प्रतिशत लोग साढ़े चार से लेकर पांच रुपए तक के भाव पर पाते हैं । प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री का भी बयान आया था कि यह कंट्रोल हट जाएगा लेकिन वह नहीं हटा और पुरानी व्यवस्था चली आ रही है ।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा किसान विरोधी काम सरकार ने किया है वह यह है कि चीनी पर लगी हुई एक्साइज ड्यूटी में साढ़े सतरह प्रतिशत की छूट दे दी है और यह 85 करोड़ की राशि बन जाती है । 85 करोड़ की छूट 253 मिल मालिकों को दी गई है । लेकिन सात हजार खंडसारी यूनिटें जो हैं जिसमें छोटे लोग लगे हुये हैं उनको यह छूट नहीं दी गई है । जनता पार्टी की पालिसी है कि छोटे छोटे आदमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा । लेकिन उनको एक्साइज ड्यूटी में कोई छूट नहीं दी गई है । उन पर एक्साइज ड्यूटी में निरन्तर वृद्धि ही की जाती रही है । महाराष्ट्र की बात मैं आपको बताना चाहता हूं । वहां पर 1974 में 1180 रुपए यह थी । मई में इसको बढ़ा कर 2360 कर दिया गया यानी दुगना कर दिया । मार्च, 1975 में उसको बढ़ा कर 5900 रुपया कर दिया गया । इस प्रकार से सीधे-सीधे एक्साइज ड्यूटी को पांच गुना कर दिया गया है । इस साल सरकार ने 85 करोड़ की छूट मिल मालिकों को एक्साइज ड्यूटी में दी है । उन्होंने गन्ने के दाम को नहीं बढ़ाया है । साथ ही खंडसारी के जो छोटे छोटे उद्योग-पति हैं उनको कोई छूट नहीं दी गई । उस पर आज भी पांच गुना एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है ।

1948-49 में स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने खाद्य मंत्री के रूप में गन्ने के दाम तय करने के लिए एक फार्मूला निकाला था जो किदवई फार्मूला नाम से बड़ा मशहूर हुआ था । उस सिद्धान्त के अनुसार 1948-49 में दो रुपए मन गन्ना बिका था और 32 रुपये मन चीनी । एक सिद्धान्त तय हो गया था । लेकिन

[श्री रामधारी शास्त्री]

आज गन्ने के दाम में कमी आई है। चीनी के दाम में किसान का हिस्सा जहां 62 प्रतिशत होता था वह आज घट कर 43 प्रतिशत रह गया है।

सरकार का कहना है कि चीनी मिल मालिकों को घाटा हो रहा है, चीनी मिलें घाटे में जा रही हैं। रिजर्व बैंक के अध्ययन पर आधारित जो रिपोर्ट है उनको जो शुद्ध लाभ वर्किंग कैपिटल पर हुआ है वह 1970-71 में 0.2 प्रतिशत हुआ है, 1971-72 में 7.5 प्रतिशत हुआ है, 1972-73 में 15.7 प्रतिशत हुआ है, 1973-74 में 10.8 प्रतिशत हुआ है और 1974-75 में 9.3 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हुआ है। उसके बाद भी यह कहा जाता है कि वे घाटे में चल रही हैं और इस आधार पर उनको एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी गई है।

यह कहा जाता है कि किसान को गन्ने के दाम अधिक देने को इसलिए गुंजाइश नहीं कि मौजूदा स्थिति में अगर दाम बढ़ा दिए गए तो किसान अधिक गन्ना बोना शुरू कर देंगे, उत्पादन गन्ने का बढ़ जाएगा। मौजूदा हालत यह है कि पानी, बिजली, खाद, मजदूरी के दाम चौगुने बढ़ गये हैं पिछले चार बरस में। इस आधार पर किसान के गन्ने के दाम कम से कम पन्द्रह रुपए क्विंटल होने चाहिये। यह हमारी मुख्य मांग है। चीनी मिल मालिकों को 1940 से लगातार सबसिडी दी जा रही है। क्या वजह है कि किसानों के हितों की रक्षा करने से सरकार कतराती है और उन के गन्ने के दाम बढ़ाना नहीं चाहती ?

चौदह ता० को कृषि राज्य मंत्री ने इस पर हुई बहस में स्वीकार किया था कि अगर चीनी को मुक्त कर दिया जाए और सरकार इस ढंग से रिलीज करे जिससे 3 रु० किलो चीनी बिके तो कोई वजह नहीं है कि किसानों को गन्ने का दाम 15 रु० न दिया जा सके। यह राज्य कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है। इसलिए जब कृषि राज्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है और गन्ने के दाम में कमी आयी हुई है, किसान को नुकसान हो रहा है तो मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह कि सरकार जिस अनुपात में चीनी मिलों को एक्साइज ड्यूटी में छूट देती है उसी अनुपात में छोटी छोटी खंडसारी इकाइयों को भी छूट दी जानी चाहिए ताकि वह किसानों को गन्ने का उचित दाम दे सकें। यहां मान्यवर, एक सूचना दे दूं कि गुड़ के एक्सपोर्ट की खबर थी, एक सूचना आ गई कि गुड़ एक्सपोर्ट होगा विदेशों में, इससे जो गन्ना 8 रु० प्रति क्विंटल मुजफ्फर नगर की खंडसारी यूनिटों में बिक रहा था उसका दाम 10 रु० हो गया। हम नहीं जानते कि कल मंत्री जी क्या बयान देंगे, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब गुड़ का एक्सपोर्ट नहीं होगा। परिणाम यह हुआ कि फिर से गन्ने का दाम खंडसारी यूनिटों में 10 रु० से घट कर 8 रु० प्रति क्विंटल हो गया। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले आप खंडसारी पर भी मिलों के अनुपात में एक्साइज ड्यूटी में छूट दें। दूसरी बात यह कि आप गुड़ का एक्सपोर्ट खोल दें। अगर देर से खोलेंगे तो उसका लाभ व्यापारियों को होगा। और अगर आप आज कल एक्सपोर्ट खोलेंगे तो उसका लाभ किसानों को होगा। तीसरी बात यह कि चीनी की जो दोहरी मूल्य प्रणाली है इसको समाप्त किया जाये और 3 रु० किलो पर इस तरह से रिलीज की जाय चीनी बाजार में ताकि शहर और गांव के बाजारों में चीनी 3 रु० पर मिले। तब जा कर गन्ने का दाम 15 रु० प्रति क्विंटल किसानों को किया जा सकता है।

मान्यवर, मुझे शर्म आयी माननीय कृषि राज्य मंत्री का जवाब सुनकर । वह कहते हैं कि हम कंट्रोल इसलिए नहीं हटायेंगे कि कुछ लोग सस्ती चीनी खाने के आदी हो गये है । मैं कहता हूं कि अगर 15 फीसदी लोग सस्ती चीनी खाने के आदी हो गये हैं तो क्या मंत्री जी ने समझ लिया है कि 85 फीसदी चुपचाप रहेंगे और 5 रु० किलो चीनी खायेंगे ? इसलिए खंडसारी पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करनी चाहिये और गन्ने की कीमत बढ़ायी जानी चाहिये ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : मान्यवर, श्रीमती मृणाल गोरे ने कहा है कि कल वह नहीं रहेंगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उनको आज्ञा दे दें जिससे मैं उनका उत्तर संक्षेप में दे दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह पहले हो जाने दीजिए ।

(ii) MISMANAGEMENT IN THE C.M.I. LTD. AND EASTERN MANGANESE AND MINERALS LTD., DOMCHANCH, BIHAR

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की औद्योगिक समस्या जो अभ्रक व्यापार से सम्बन्धित है, सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ईस्टर्न मैंगनीज और मिनरल कम्पनी लिमिटेड और क्रिश्चयन माइक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी में पिछले कई वर्षों से मिसमैनेजमेंट हो गया है जिसके कारण 4,000 मजदूर भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं । इसीलिए इस संदर्भ में 1,000 से ज्यादा मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक मेमोरेंडम मेरे पास आया है जिसको मैंने माननीय विधि मंत्री को पिछले नवम्बर महीने में दे दिया था और कहा कि इस कम्पनी को टेक ओवर कर लिया जाय । इसकी सूचना मैंने श्रम मंत्री, वाणिज्य मंत्री और खान मंत्री को भी दी थी कि यह कम्पनी बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है और इसके कारण 4,000 मजदूर भूखों मर रहे हैं और 13 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है । इन 4,000 मजदूरों के आश्रितों को मिलाकर यह संख्या 50,000 तक पहुंचती है जो संकटग्रस्त हैं । इसलिए मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां से 30, 40 करोड़ का अभ्रक निर्यात होता है । यह एक सबसे बड़ी कम्पनी है जो सबसे पुरानी और विश्व में विख्यात है । करीब साढ़े तीन हजार वर्ग-मील जमीन इसके मातहत है, इसकी दूसरी फैक्टरियां हजारीबाग , कोडरमा, झूमरी, तलैया, गिरीडीह में है । इस के कार्यालय दिल्ली और कलकत्ता में भी हैं । इस कम्पनी ने 1960 से प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं किया है उसमें मजदूरों का हिस्सा भी है और कम्पनी का हिस्सा भी है साथ ही साथ 1975 से अभी तक मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया गया है जो कि 45 लाख कम्पनी के पास बकाया हो गया है । इस तरह से मजदूर भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं ।

मजदूरों में प्राविडेंट फंड अधिनियम के अन्तर्गत दरख्वास्त भी दी कि उनके भविष्य निधि के पैसे मिलें, लेकिन 68-एच के अन्तर्गत उनको पैसा नहीं मिला है । इसी कारण वहां पर 13 मजदूरों की मृत्यु भी हो गई है जिसका पूरा विवरण मेरे पास है ।

कम्पनी की दुर्दशा को जानने के लिए केन्द्रीय सरकार के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक टीम नवम्बर, 1976 में वहां पहुंची थी । उसने इसके दोषों की जांच-पड़ताल करके यहां पर रिपोर्ट भी दी थी कि इस कम्पनी को अधिनियम की धारा 209, 237 और 408 के अन्तर्गत अधि-